

**लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)**  
**(जिला कलक्टर), बांसवाड़ा (राज.)**

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS.

प्रकरण संख्या : 04 / 2025

GCMS NO. : 2025 / 28

प्रार्थी / अपीलार्थी :-

श्री शरद पंड्या, कार्यालय  
अन्दर की खबर समाचार पत्र, बनाम  
घंटाघर के पास, त्रिपोलिया  
रोड, बांसवाड़ा

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना  
अधिकारी) बांसवाड़ा


निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :- 19-03-2025

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 16.01.2025 (पोस्टल ऑर्डर नं. 63एफ 876488) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जिससे अप्रसन्न, असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 27.02.2025 को जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष

  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,  
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

रखने उपस्थित होने सूचित किया गया। दिनांक 12.03.2025 को अपीलार्थी का नोटिस बाद तामिल प्रस्तुत हुआ। प्रत्यर्थी की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा।

आज दिनांक 19.03.2025 को अपीलार्थी अनुपस्थित है। प्रत्यर्थी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 16.01.2025 (पोस्टल ऑर्डर नं. 63एफ 876488) से 1 बिन्दु पर सूचना चाही गई थी। किन्तु वांछित सूचना रेस्पोंडेंट लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा) द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जाना प्रतित हो रहा है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने कार्यालय में रेकार्ड उपलब्धता के आधार पर अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत निःशुल्क सूचना उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति सम्बन्धित को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19-03-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,  
जिला कलेक्टर, बांसवाडा (राज.)